राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प.5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांकः 06/11/2020

: : आदेश : :

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2017 के पैरा–205 के बिन्दु संख्या–XXVII में दिये गये निर्देशों की पालना में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिनांक 27.08.2017 को गठित समिति के स्थान पर वर्तमान में मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से नगरीय विकास विभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति द्वारा ही मान0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त उक्त निर्देशों की भी पालना की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विशेषज्ञों को बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

उक्त कार्य हेतु समिति का प्रशासनिक विभाग, उद्योग विभाग होगा एवं सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 प्रीतम बी0 यशवन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव